



मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल -16

क्रमांक 301/मुप्रनिबो/तक/टायर पायरोलिसिस/2019


भोपाल, दिनांक 4-2-19

‘कार्यालय आदेश’

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 24.11.2015 को टायर पायरोलिसिस से संबंधित एस.ओ.पी. जारी की गई थी। म.प्र. राज्य की पर्यावरणीय स्थिति को देखते हुए जारी एस.ओ.पी. में वर्तमान परिस्थितियों एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण के कारण विशेष शर्तें जोड़ने हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. श्री एच.एस. गालवीय, अधीक्षण यंत्री | - | सदस्य |
| 2. श्री पी.एस. बुन्देला, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षे. कार्या., भोपाल | - | सदस्य |
| 3. श्री आर.के.गुप्ता, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षे. कार्या., इन्दौर | - | सदस्य |
| 4. श्री सुधीर श्रीवास्तव, विधि अधिकारी, | - | सदस्य |
| 5. डॉ. प्रेम कुमार श्रीवास्तव, वैज्ञानिक, | . | सदस्य संयोजक |
| 6. डॉ. हरीश बी. वागखड़े, वैज्ञानिक, | - | सदस्य |

समिति मध्य प्रदेश में स्थापित टायर पायरोलिसिस ऑयल प्लांट (टी.पी.ओ.एस.) उद्योगों की वस्तुस्थिति का आकलन करेगी। इस हेतु आवश्यकतानुसार एक या दो उद्योगों का निरीक्षण भी करेगी, तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु एक एस.ओ.पी. का प्रारूप एक माह के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करेगी।


(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, अध्यक्ष/सदस्य सचिव, म0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अधीक्षण यंत्री, (वित्त),, म0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सर्व संबंधित अधिकारियों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. व्यक्तिगत नस्ती/आर्डर बुक/गाई फाइल/आई.टी. शाखा